

5-6-20 पत्रावली पेश हुई। वकील  
 पक्षकारान उप. P.O. साहब  
~~कोरोना वायरस संक्रमण~~  
 दौरे/अवकाश पर पधार है।  
 अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार  
 दिनांक 17-2-20 को पेश हो

17-2-20 पत्रावली पेश हुई। वकील  
 पक्षकारान उप. P.O. साहब  
~~कोरोना वायरस संक्रमण~~  
 दौरे/अवकाश पर पधार है।  
 अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार  
 दिनांक 21-8-20 को पेश हो

21-8-20 पत्रावली पेश हुई। वकील  
 पक्षकारान उप. P.O. साहब  
~~कोरोना वायरस संक्रमण~~  
 दौरे/अवकाश पर पधार है।  
 अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार  
 दिनांक 9-10-20 को पेश हो

24-8-20 प्राधी सं. 6 व 9 की ओर से प्रार्थना-  
 पत्र वास्ते धारा 151 C.P.C. के तहत  
 राजस्व प्रार्थना-पत्र को नोट प्रेस करने  
 तथा नये तथ्यों के साथ पुनः राजस्व  
 प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान  
 करने बाबत पेश करने पर पत्रावली तालब  
 की गई। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अनुसार प्राधी-  
 गण का एक प्रार्थना-पत्र न्यायालय में विचा-  
 राधीन है, जिसकी आगामी तारीख पेशी  
 9-10-20 है। प्राधीगण उक्त राजस्व प्रार्थना-  
 पत्र को नोट प्रेस करना चाहते हैं तथा नये तथ्यों  
 के समावेश के साथ पुनः राजस्व प्रार्थना-पत्र  
 प्रस्तुत करेंगे, जिसकी अनुमति भी सम्मतीय  
 न्यायालय प्रदान करे। प्राधी सं. 6 व 9 स्थित।  
 वकील प्राधी उपस्थित। प्राधी सं. 6 व 9 की ओर  
 से पहचान दस्तावेज आधार कार्ड की स्वच्छाणित

मंगलम्  
 राधा कृष्ण  
 20

उपखण्ड अधिकारी,

From no |||  
 फर्द अहकाम  
 (नियम 26)

मुकाम-रूपनगढ़ जिला अजमेर

लत उपखण्ड अधिकारी  
 हस्ताक्षर  
 मुकदमा :- 2128/2018

बनाम रामचन्द्र

नंबर 24 वर्ष 2018

नंबर व तारीख अहकाम जो इस  
 हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रतिमां पेश की।  
 हमने प्राधीगण द्वारा प्रस्तुत प्र  
 पत्र का अवलोकन किया। प्राधीगण एवं  
 वकील प्राधी को सुना गया। उक्त प्राधी-  
 गण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार  
 किया जाकर राजस्व प्रार्थना-पत्र को  
 नोट प्रेस करने की अनुमति दी जाती  
 है।

पत्रावली फैसल अनुसार होकर  
 नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी  
 रूपनगढ़ : अजमेर

